उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

संख्या सा०–3–1066/दस–301/2000
लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–3–29/दस–301–99, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जुलाई, 1999 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर, पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 1–1–1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञापन, दिनांक 01 अप्रैल, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जनवरी, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 1 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार राहत की दर बढ़कर 38 प्रतिशत हो गयी है।

2—महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3—यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सांर्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4—यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5—शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस–10 (3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय-ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-3

No. Sa.–3–1066/X–301/2000
Dated Lucknow, July 31, 2000

OFFICE MEMORANDUM

Subject—Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.–3–29/X–301–99, Dated April 01, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from July 1, 1999 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 1% (one percent) with effect from January 1, 2000 in supersession of the rates mentioned in the O.M., dated April 1, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01.01.2000 has risen to 38%.

2. Payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M.no A-1–252/X-10 (3)–81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public sector Banks.

6—महंगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries Heads of Department/ Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 59 सा० वित्त—4–8–2000—(1103)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।